भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2557
जिसका उत्तर मंगलवार 02 अगस्त, 2016 को दिया जाना है

वाहनों के लिए मानक हेतु जांच केन्द्र

2557. श्री रवीन्द्र कुमार जेना:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वाहनों में सुरक्षा मानकों की कमी के कारण देश में सड़क दुर्घटनाओं में कुल कितनी मौतें हुई हैं;

(ख) देश में राज्य-वार कुल कितने आधुनिक परीक्षण केन्द्र और क्रैश जांच केंद्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे केन्द्रों की स्थापना संबंधी कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) क्या सरकार ने नए वाहनों के लिए सुरक्षा मानक शुरू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सभी भारी और हल्के वाहन विनिर्माताओं द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी करने हेतु क्या तरीका है और उसके क्या परिणाम निकले?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहनों में सुरक्षा मानकों की कमी की वजह से देश में सड़क दुर्घटनाओं में हो रहीं मौतों के आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, 1970 से 2015 तक हुई सड़क दुर्घटनाएं, उनमें मारे गए और घायल हुए लोगों का आंकड़ा संलग्न है। **(अनुबंध-I)**

(ख): केन्द्रीय मोटर यान नियम (सीएमवीआर), 1989 के नियम 126 के अंतर्गत, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अनुपालनार्थ टाइप अनुमोदन और वाहन प्रमाणन हेतु सात (07) परीक्षण एजेन्सियां हैं। ये हैं:-

1) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे, महाराष्ट्र।
2) व्हीकल रिसर्च एंड डवलपमेंट इस्टेब्लीशमेंट (वीआरडीई), अहमदनगर, महाराष्ट्र।
3) सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टिट्यूट, बुदनी, मध्य प्रदेश।
4) भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी), देहरादून, उत्तराखंड।
5) केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी), पुणे, महाराष्ट्र।

6) इंटरनेशनल सेन्टर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नालॉजी (आईकैट), मानेसर, हरियाणा।
7) नार्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टिट्यूट, हिसार।

(ग): फिलहाल, प्रत्येक राज्य में अत्याधुनिक परीक्षण केन्द्र और क्रैश जांच केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ): सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 1139(ई) दिनांक 28.04.2015 और का.आ. 2412(ई) दिनांक 03.09.2015 के द्वारा नए वाहनों के लिए कई सुरक्षा मानकों को शुरू किया है। **(अनुबंध 2)**

(ङ): सरकार ने विभिन्न सुरक्षा मानक तैयार किए हैं जो केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (सीएमवीआर), के अंतर्गत ऑटोमोटिव उद्योग मानकों (एआईएस) में शामिल हैं। केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 के अंतर्गत, यह प्रावधान है कि ट्रेलरों तथा सेमी-ट्रेलरों से अन्य मोटर वाहनों के विनिर्माताओं के लिए केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अनुपालनार्थ प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए उनमें विनिर्दिष्ट किसी भी एजेन्सी द्वारा, विनिर्मित किए जाने वाले वाहन के प्रोटोटाइप को जांच हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है।

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का नियम 126ए यह भी अधिदेशित करता है कि उपर्युक्त नियम 126 के अंतर्गत बताई गई जांच एजेन्सियां विनिर्माता द्वारा बनाए गए वाहनों में से किसी वाहन को निकालकर जांच करे ताकि यह सत्यापित हो सके कि अमुक वाहन मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 के अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अनुरूप है।

केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम और केन्द्रीय मोटर यान नियम के प्रावधानों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के दायरे में आता है।

****

सड़क दुर्घटनाएं, मारे गए और घायल व्यक्ति : 1970-2015

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या (संख्या में)	मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या (संख्या में)	घायल हुए व्यक्तियों की कुल संख्या (संख्या में)	भारत की जनसंख्या (हजार में)	पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या (हजार में)	सड़क की लंबाई (किमी में)	प्रति लाख जनसंख्या पर दुर्घटनाओं की संख्या	प्रति दस हजार वाहनों पर दुर्घटनाओं की संख्या	सड़क की प्रति दस हजार किमी की लंबाई पर दुर्घटनाओं की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर मारे गए व्यक्तियों की संख्या	प्रति दस हजार वाहनों पर मारे गए व्यक्तियों की संख्या	सड़क की प्रति दस हजार किमी की लंबाई पर मारे गए व्यक्तियों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	प्रति दस हजार वाहनों पर घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	सड़क की प्रति दस हजार किमी की लंबाई पर घायल हुए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1970	1,14,100	14,500	70,100	5,39,000	1,401	11,88,728	21.2	814.4	959.8	2.7	103.5	122.0	13.0	500.4	589.7
1980	1,53,200	24,000	1,09,100	6,73,000	4,521	14,91,873	22.8	338.9	1,026.9	3.6	53.1	160.9	16.2	241.3	731.3
1990	2,82,600	54,100	2,44,100	8,35,000	19,152	19,83,867	33.8	147.6	1,424.5	6.5	28.2	272.7	29.2	127.5	1,230.4
2000	3,91,449	78,911	3,99,265	10,14,825	48,857	33,25,765	38.6	80.1	1,177.0	7.8	16.2	237.3	39.3	81.7	1,200.5
2001	4,05,637	80,888	4,05,216	10,28,610	54,991	33,73,520	39.4	73.8	1,202.4	7.9	14.7	239.8	39.4	73.7	1,201.2
2002	4,07,497	84,674	4,08,711	10,45,547	58,924	34,26,603	39.0	69.2	1,189.2	8.1	14.4	247.1	39.1	69.4	1,192.8
2003	4,06,726	85,998	4,35,122	10,62,388	67,007	35,28,654	38.3	60.7	1,152.6	8.1	12.8	243.7	41.0	64.9	1,233.1
2004	4,29,910	92,618	4,64,521	10,79,117	72,718	36,21,507	39.8	59.1	1,187.1	8.6	12.7	255.7	43.0	63.9	1,282.7
2005	4,39,255	94,968	4,65,282	10,95,722	81,502	38,09,156	40.1	53.9	1,153.2	8.7	11.7	249.3	42.5	57.1	1,221.5
2006	4,60,920	1,05,749	4,96,481	11,12,186	89,618	38,80,651	41.4	51.4	1,187.7	9.5	11.8	272.5	44.6	55.4	1,279.4
2007	4,79,216	1,14,444	5,13,340	11,28,521	96,707	40,16,401	42.5	49.6	1,193.1	10.1	11.8	284.9	45.5	53.1	1,278.1
2008	4,84,704	1,19,860	5,23,193	11,44,734	1,05,353	41,09,592	42.3	46.0	1,179.4	10.5	11.4	291.7	45.7	49.7	1,273.1
2009	4,86,384	1,25,660	5,15,458	11,60,813	1,14,951	44,71,510	41.9	42.3	1,087.7	10.8	10.9	281.0	44.4	44.8	1,152.8
2010	4,99,628	1,34,513	5,27,512	11,76,742	1,27,746	45,82,439	42.5	39.1	1,090.3	11.4	10.5	293.5	44.8	41.3	1,151.2
2011	4,97,686	1,42,485	5,11,394	12,10,193	1,41,866	46,76,838	41.1	35.1	1,064.2	11.8	10.0	304.7	42.3	36.0	1,093.5
2012	4,90,383	1,38,258	5,09,667	12,08,116	1,59,491	48,65,394	40.6	30.7	1,007.9	11.4	8.7	284.2	42.2	32.0	1,047.5
2013	4,86,476	1,37,572	4,94,893	12,23,581	1,81,508	52,31,922	39.8	26.8	929.8	11.2	7.6	262.9	40.4	27.3	945.9
2014	4,89,400	1,39,671	4,93,474	12,38,887	*	*	39.5	*	*	11.3	*	*	39.8	*	*
2015	5,01,423	1,46,133	5,00,279	12,54,019	*	*	40.0	*	*	11.7	*	*	39.9	*	*

स्रोत: 1. दुर्घटनाएं- राज्य पुलिस प्राधिकरण
2. जनसंख्या: भारत के महापंजीयक
3. सड़क लंबाई- आधारभूत सड़क सांख्यिकी (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
4. वाहन- सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
5. सड़क लंबाई और पंजीकृत मोटर वाहनों के आंकड़े वित्त वर्ष के अनुसार हैं।
6. सड़क दुर्घटना के आंकड़े कैलेण्डर वर्ष के अनुसार हैं।

* वर्ष 2014 और 2015 के लिए सड़क की लंबाई और पंजीकृत मोटर वाहनों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नोट: सड़क की लंबाई में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और तत्कालीन जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित सभी सड़कें शामिल हैं।